

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1978/श्रावण 28, 1900
No. 163] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1978/SRAVANA 28, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

धाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारीता मंत्रालय

(धाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 55-ई.टी.सी. (पी.एन.)/78

विषय.—1978-79 अवधि के लिए रोजवूड की निर्यात नीति।

सार्वजनिक सूचना सं. 28-ई.टी.सी.(पी.एन.)/78, दिनांक: 19-5-78 के साथ पढ़ी जाने
वाली 1978-79 की निर्यात नीति की पृष्ठ 81 पर भाग-2 के अनुबन्ध 5 की कोटिंग-9
की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. 1978-79 अवधि के लिए 6000 क्यूबिक मीटर रिहाई की उच्चतम सीमा के सम्बन्ध में पैरा 9 का आंशिक आशोधन करते हुए 1978-79 वर्ष के लिए रोजवुड के निर्यात के लिए चिरे हुए लट्ठों के रूप में 3000 क्यूबिक मीटर की उच्चतम सीमा की और रिहाई के लिए निश्चय किया गया है।

3. आगामी वर्ष के लिए पहले से ही निश्चय की गई उच्चतम सीमा अर्थात् 3000 क्यूबिक मीटर के मद्देन सरकार इस अतिरिक्त उच्चतम सीमा के 3000 क्यूबिक मीटर की विधि और सीमा के सम्बन्ध में अलग से घोषणा करेगी।

[मिसिल सं. 8/1/78-इ. 1 से जारी]

का. वी. शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 19th August, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 55-ETC(PN)/78

Subject.—Export Policy of Rosewood for the period 1978-79.

Attention is invited to Paragraph 9 of Annexure 5 to Section II, at page 61 of Export Policy 1978-79, read with Public Notice No. 28-ETC(PN)/78 dated 19-5-1978.

2. In partial modification of Paragraph 9 regarding the ceiling of 6,000 cubic metres released for the period 1978-79, it has been decided to release a further ceiling of 3,000 cubic metres for the export of Rosewood, in logs and sawn form, for the year 1978-79.

3. Government will separately announce the manner and the extent, to which this additional ceiling of 3,000 cubic metres would be adjusted against the ceiling already set for the next year, namely, 3,000 cubic metres.

[Issued from file No. 6/1/78-EI]

K. V. SESHADRI, Chief Controller